अति.आवश्यक
मानव अधिकार आयोग

ए.एस.बरार
(भा.व.सेवा)
अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(श्रम एवं विधि)

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन भवन , वानिकी पथ,
राजस्थान, जयपुर–302005

अर्द्ध शासकीय पत्र कमांक एफ15ज( )11/श्रम/प्रमुवसं/ 342-353
दिनांक 4.2.15

विषयः–वर्कचार्ज कर्मचारियों के टी.ई. प्रकरणों के निस्तारण के कम में मानव अधिकार आयोग में दर्ज परिवाद संख्या 13/10/1492।

प्रिय श्री

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग में दर्ज परिवाद संख्या 13/10/1492 में आदेश दिनांक 30.09.14 की पालना में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ) द्वारा कार्य प्रभारित कर्मचारियों के टी ई प्रकरणों को राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग को भिजवाये जाने के संबंध में प्रमाण–पत्र दिनांक 11.12.14 तक प्रस्तुत किया जाना था। इस कम में पत्र कमांक 3845–62 दिनांक 13.11.14 से आयोग की आदेशिका दिनांक 30.09.14 की प्रति संलग्न प्रेषित कर आयोग के निर्देश अनुसार आपके अधिनस्थ कार्यालयों से कार्य प्रभारित कर्मचारियों की टी ई के संबंध में प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उसके आधार पर आपका प्रमाण–पत्र चाहा गया था। इसके लिये आपको पत्र कमांक 4176–4201 दिनांक 03.12.14 से स्मरण भी करवाया गया। नियत दिनांक 11.12.14 तक आयोग में वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर दिनांक 12.02.15 तक इसे प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये है। वांछित प्रमाण पत्र भिजवाने के लिये आपको अ.शा.पत्रांक 03–16 दिनांक 02.01.15 तथा पत्र कमांक 198–213 दिनांक 23.01.15 से पुनः स्मरण भी करवाया गया। अत्यन्त खेद के साथ लिखना पड़ रहा कि लगभग 3 माह का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी वांछित प्रमाण पत्र अप्राप्त है। ऐसा प्रतीत होता है कि आप द्वारा राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के आदेश तथा उसकी पालना के लिये इस कार्यालय के निर्देशों को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। अभी भी प्रकरण में नियत तिथि दिनांक 12.02.15 से पूर्व यह कार्यालय वांछित प्रमाण पत्र आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने में यदि विफल रहता है तो इससे विभाग की छवि पर न केवल प्रतिकूल प्रभाव पडेगा वरन् विभाग की कार्य प्रणाली पर भी प्रश्न चिन्ह लगेगा तथा आयोग द्वारा यदि विभाग/संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अभियोग चलाने अथवा अन्य कोई आदेश पारित किया जाता है तो इसके लिये आप व्यक्तिशः उत्तरदायी होगे।

अतः व्यक्तिशः रूचि लेकर इस कार्यालय द्वारा वांछित प्रमाण पत्र दिनांक 07.02.15 से पूर्व आवश्यक रूप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

कृपया इसे अतिआवश्यक समझे।

शुभेच्छु

(ए.एस.बरार) 4/2

श्री
अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान जयपुर।
मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर/कोटा/अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/जयपुर।
(वन्यजीव) जयपुर/कोटा/उदयपुर/भरतपुर/विभागीय कार्य जयपुर।